राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3824/2025

कोमल बंशीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, करौली।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2025
आदेश की दिनांक : 12.08.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–iii, लेवल–I के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सोनपाल का पुरा (सोमला), ब्लॉक हिंडोन जिला करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बीचपुरिया जिला करौली में बिना काउंसिलिंग की प्रक्रिया अपनाये अन्य ब्लॉक में स्थानान्तरण कर दिया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश को चुनौति देते हुए अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3649/2024 दायर की। अधिकरण के आदेश दिनांक 19.12.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण पर रोक लगाते हुए वही पर कार्यरत रखे जाने के निर्देश किये गये तथा प्रत्यर्थी विभाग को नये सीरे से विधिक प्रक्रिया अनुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। स्थगन आदेश पारित किया गया। अधिकरण के आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से वेतन नहीं दिया जा रहा है। अपीलार्थी ने समय–समय पर प्रत्यर्थी विभाग से पदस्थापन स्थान से उचित वेतन देने का अनुरोध किया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कुछ नहीं किया और लगभग 8 माह बीत जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया गया है।

अपीलार्थी को वेतन वर्तमान पदस्थापित स्थान से आहरित नहीं कर अन्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहन नगर हिंडौन सिटी से आहरित किया जा रहा है (अनुलग्नक–3)। उनका आगे कथन है कि ब्लॉक हिंडौन सिटि में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धंधावली, धुरसी का पुरा एवं हुक्मी खेड़ा में अध्यापक के कई पद रिक्त है, उन पर अपीलार्थी को नियुक्त किया जा सकता था और वहीं से अपीलार्थी को वेतन प्राप्त हो सकता था, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनुचित एवं मनमाने तरीके से अपीलार्थी को परेशान करने के लिए अन्य स्थान से वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से वेतन का भुगतान समस्त पारिणामिक लाभों सहित किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य